निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**5 आषाढ़ 1945 (श0)**

**(सं0 पटना 496) पटना, सोमवार, 26 जून 2023**

**सं० 27 / मु0–05–06 / 2019–सा0प्र0–11742**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

---

**संकल्प**

**20 जून 2023**

श्री कुमार अजीत सिंह, बि०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी– सह–कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पशुपालन घोटाला से संबंधित सी0बी0आई0 केश नं0–78 / ए / 1996 पैट में विपत्रों के पारित करने, सामान्य विवेक से काम नहीं लेने, फलस्वरूप रू0 3,24,964 (तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ चौंसठ रूपये) की छ्दम निकासी होने एवं सरकार को वित्तीय क्षति संबंधी गंभीर आरोपों के लिये श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–7728 दिनांक 03.10.2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभागीय जांच आयुक्त के पत्रांक 638 / सी0डी0आई0 दिनांक–23.10.2007 द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31.01.2009 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव विभागीय पत्रांक–3448 दिनांक–07.12.2006 के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या–5003 दिनांक–29.05.2009 द्वारा सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक–5270 दिनांक–04.06.2009 एवं पत्रांक–7224 दिनांक–24.07.2009 द्वारा श्री सिंह के गृह पता पर भेजते हुए उनसे कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह द्वारा कारण पृच्छा का उत्तर इस विभाग को समर्पित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9396 दिनांक–17.09.2009 द्वारा **पेंशन से 10% की कटौती का दंड** अधिरोपित / संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जी0सी0 सं0–18055 / 2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–21.06.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

Moreover, the impugned order dated 17.09.2009 also does not comply with the provisions of Rule 43 (b) of Bihar Pension Rules, 1950 to the effect that for inflicting punishment under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules, it is necessary to come to a conclusion of grave misconduct on the part of the delinquent or pecuniary loss having been caused to the Government on account of the misdeeds of the delinquent, however in the present case,

there is no such finding, hence the order of punishment dated 17.09.2009 is not sustainable in the eyes of law and is accordingly, quashed. Since the original order of punishment dated 17.09.2009 has been set aside, consequently the appellate order dated 08.06.2010 is bound to fall and is accordingly, quashed.

सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–18055/2010 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 दायर किया गया।

इसी बीच श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0–5317/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–29.01.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है

The learned counsel for the contemnors seeks one more opportunity to comply the order of this Court dated 21.06.2018 passed in CWJC No.-18055/2010.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0–9396 दिनांक–17.09.2009 द्वारा श्री सिंह को दी गयी शास्ति **(10% पेंशन से कटौती का दण्ड)** को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1700 दिनांक–03.02.2020 द्वारा इस शर्त के साथ वापस लिया गया कि एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा एवं श्री सिंह को सेवानिवृत्ति से संबंधित पूर्ण वित्तीय लाभ देय होगा।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 में दिनांक–06.02.2023 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

Question of withdrawing the punishment on 03.02.2020 vide Memo No. 1700 was not warranted for the simple reason that learned Single Judge has already set aside the order of penalty dated 17.09.2009 read with 08.06.2010. Orders which were set aside by this Court cannot be withdrawn by the State Government, since penalty orders were not existing in the eye of law as on 03.02.2020.

In the light of these facts and circumstances, the appellants have not made out a case so as to interfere with the order of the learned Single Judge dated 21.06.2018 passed in C.W.J.C. No. 18055 of 2010. 13.

Accordingly, present L.P.A. stands dismissed

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0–1682/2018 में दिनांक–06.02.2023 को पारित न्यायादेश की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7606 दिनांक–21.04.2023 द्वारा श्री सिंह के पेंशन से 10% की कटौती करने से संबंधित अधिरोपित एवं संसूचित विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9396 दिनांक–17.09.2009 को निरस्त किया गया।

श्री सिंह के पत्र दिनांक–26.05.2023 द्वारा उनके निलंबन अवधि दिनांक–29.09.2000 से दिनांक–21.08.2001 तक का पूर्ण वेतन स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि श्री सिंह की निलंबन अवधि दिनांक–29.09.2000 से दिनांक–21.08.2001 तक के लिये पूर्ण वेतन स्वीकृत कर लंबित वेतनादि का भुगतान करने साथ ही पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया का समायोजन कर लिया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

निर्णयानुसार श्री सिंह की निलंबन अवधि दिनांक–29.09.2000 से दिनांक–21.08.2001 तक के लिये पूर्ण वेतन स्वीकृत किया जाता है। इनके लंबित वेतनादि का भुगतान करने के साथ ही पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया का समायोजन कर लिया जाय तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**रवीन्द्र नाथ चौधरी,**
उप–सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,**
**बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
**बिहार गजट (असाधारण) 496-571+10-डी0टी0पी0**
**Website: http://egazette.bih.nic.in**